

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.8(7)विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्ट/209

जयपुर, दिनांक:-22-06-2022

आज्ञा

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अन्तर्गत माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की अभिशंभानुसार राज्य सरकार द्वारा संस्थापित जन-उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत, दौसा में नियुक्त अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र शर्मा का उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि, जोकि उनकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि है, तक के लिए मनोनयन की अवधि इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्यक्षीन एतद्वारा बढ़ाई जाती है:-

क्र. सं.	स्थायी लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत में नियुक्त सदस्य का नाम सर्वश्री/श्रीमती/डॉ./सुश्री	जन्म दिनांक	नियुक्ति आदेश संख्या/दिनांक	कार्यग्रहण की दिनांक	वर्तमान कार्यकाल की अवधि	विस्तारित कार्यकाल की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दौसा	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	15.07.1957	297 / 24.05.2019	29.05.2019	27.05.2022	14.07.2022

आज्ञा से

(प्रवीर मटनागर)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
9. सम्बन्धित सदस्यगण जरिये कार्यालय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
11. रक्षित पत्रावली।

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव, (विर.सं.)